न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65 / 2025 **निर्णय दिनांकः–** 14-10-25
(जीसीएमएस संख्या 2025 / 110)

उदाराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 24–11–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 24–11–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 5 एन.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 72 / 37 में रकबा 23 बीघा 10

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के लिए आवेदन करने पर अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन होने के पश्चात किसी तरह की ना तो रूपये भराने की सूचना मिला ना ही विधिवत रूप से नोटिस प्राप्त हुआ। अपीलांट रूपये भरने के लिए ऑफिस के चक्कर निकालता रहा परन्तु कोई सफलता नही मिली। फिर कार्यालय के कार्मिको द्वारा अवगत करवाया गया कि पत्रावली छतरगढ़, पूगल, खाजूवाला प्रेषित कर दी गई है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है जिसमें विशेष आवंटन 1995 में आवेदन किया जिसकी वरियता के अनुसार अपीलांट को उक्त चक में 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन होने का आदेश दिनांक 15–7–1995 को जारी किया गया परन्तु जानकारी व विभाग द्वारा कोई नोटिस नही दिये जाने के कारण अपीलांट पैसे जमा नही करवा सका। अपीलांट आज भी नियमानुसार रूपये जमा करवाने के लिए तैयार है। अपीलांट का मुख्य धंधा काश्तकारी है अगर समय रहते पैसे जमा नही किये गये तो अपीलांट की आज तक की महनत नाकाबिल हो जायेगी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष चक 5 एन.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 72/37 में रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के लिए विशेष आवंटन हेतु आवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किये गये। परन्तु प्रार्थी/अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबुत प्रस्तुत किये थे तथा केवल मात्र 35 प्रतिशत राशि रूपये 15300/– जमा नही करवाने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नोटिस की दो प्रतियॉ उपलब्ध है परन्तु उस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता उपलब्ध नहीं है। इससे यह तथ्य उभरकर आते है कि अपीलांट को नोटिस की तामील नही हुई है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ मुकाम बीकानेर का आदेश दिनांक 24–11–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 15-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर